कार्यालय मुख्य अभियन्ता (रा0मा0)
लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक [illegible] एन0एच0/[illegible] एन0/ [illegible]   दिनांकः [illegible]

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता
मेरठ क्षेत्र/गोरखपुर/वाराणसी/इलाहाबाद/झाँसी
लो0नि0वि0, मेरठ/गोरखपुर/वाराणसी/इलाहाबाद/झाँसी।

विषय : नवघोषित राष्ट्रीय मार्ग सं0–334ए, 334बी, 227ए, 219 एवं 731ए हेतु राज्यमार्गो के हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के गजट नोटिफिकेशन उपरान्त राष्ट्रीय मार्गो का इंन्ट्रस्टमेन्ट भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सं0–का0आ0–3689(अ) दि0 09.12.16 द्वारा निर्गत उपरान्त मोर्थ के पत्रांक–NH-14013/9/2012-P&M(pt-2) dt 14-12-16 एवं शासन के पत्रांक–जी0आई0–359/23–12–2016 दिनांक 09.01.17 के कम में राज्यमार्गो/एम0डी0आर0/ओ0डी0आर0 को निम्नवत संरेखण के अनुसार नवघोषित राष्ट्रीय मार्गो हेतु सिविल खण्डो से राष्ट्रीय मार्ग खण्ड को स्थानान्तरित किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है।

क0 सं0	रा0मा0 सं0/ मार्ग का नाम	सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0,	मार्ग कहां से कहां तक	लम्बाई कि0मी में	सम्बन्धित रा0मा0 खण्ड
1	334ए /पुरकाजी–लक्सर– हरिद्वार मार्ग	मेरठ क्षेत्र	पुरकाजी से प्रारम्भ होकर लक्सर को जोड़ते हुये और उत्तराखण्ड राज्य मे हरिद्वार मे समाप्त।	15 कि0मी	रा0मा0 खण्ड, सहारनपुर
2	334बी / मेरठ– हरियाणा बार्डर मार्ग	मेरठ क्षेत्र	मेरठ के निकट नये रा0रा0 सं0–34 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर सोनीपत–खरखोदा–सापला–झज्झर–चरखी–दादरी को जोड़ते और हरियाणा राज्य मे लोहारू के निकट रा0रा0 सं0–709 के साथ अपने जक्शन पर समाप्त।	60 कि0मी0	रा0मा0 खण्ड, गाजियाबाद
3	227ए /अयोध्या (रा0रा0 सं0–27)– छावनी–कलवाडी–बडहलगंज–बरहज– बिहार बार्डर मार्ग	गोरखपुर क्षेत्र	रा0रा0 सं0–27 के साथ अयोध्या मे अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर छावनी–कलवारी–बड़हलगंज और बरहज को जोड़ते हुये सीवान और बिहार राज्य में चकिया के निकट रा0रा0 सं0–27 पर अपने जंक्शन के साथ समाप्त।	218 कि0मी0	अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0) गोरखपुर
4	219/ बिहार बार्डर से चन्दौली (रा0रा0 सं0–19) मार्ग	वाराणसी क्षेत्र	बिहार राज्य में मोहनिया के निकट रा0रा0 स0–19 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर बबुआ–चैनपुर– चांद को जोड़ते हुये और उ0प्र0 राज्य मे चन्दौली के निकट रा0रा0 सं0–19 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त	5 कि0मी0	रा0मा0 खण्ड, वाराणसी
5	731ए/ प्रतापगढ़ (रा0रा0 सं0–31)– जेठवाडा–श्रंगवेरपुर–मंजनपुर– राजापुर नियर चित्रकूट (रा0रा0 सं0–35) मार्ग	इलाहाबाद/ झाँसी क्षेत्र	राज्य में प्रतापगढ के निकट रा0रा0 सं0–31 के साथ अपने जंक्शन से प्रारम्भ होकर जेठवाड़ा–श्रंगवेरपुर–मंजनपुर–राजापुर को जोड़ते हुये और चित्रकूट के निकट रा0रा0 सं0–35 पर अपने जंक्शन के साथ समाप्त।	160 कि0मी0	रा0मा0 खण्ड, इलाहाबाद

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad
NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

कृपया क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता नवघोषित राष्ट्रीय मार्गो हेतु सम्बन्धित वृत/सिविल खण्ड जिसके अन्तर्गत राज्यमार्ग/एम0डी0आर0/ओ0डी0आर0 आते है उपरोक्त संरेखण के अनुसार उनके सम्मुख राष्ट्रीय मार्ग खण्डो को हस्तगत किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे उक्त मार्गो को नवघोषित राष्ट्रीय मार्ग के रूप मे रख–रखाव एवं विकास कार्य रा0मा0 खण्डो द्वारा कराया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार शासन एवं मंत्रालय का पत्र एवं
गजट नोटिफिकेशन।

भवदीय

(एस0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (रा0मा0)

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख अभियन्ता (ग्रा0स0) लो0नि0वि0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता (मु0–1) लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, बायोटेक, चौराहा, रिंगरोड, विकासनगर, टेढ़ीपुलिया, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण अभियन्ता, 28वॉ वृत (रा0मा0)/18वॉ वृत (रा0मा0), लो0नि0वि0, बरेली/लखनऊ/इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं मार्ग हस्तगत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, सहारनपुर/गाजियाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित अभियन्ताओ से निर्देश प्राप्त कर सम्बन्धित सिविल खण्डो से उपरोक्त संरेखण अनुसार राज्यमार्गो को राष्ट्रीय मार्ग के रूप मे प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(एस0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता (रा0मा0)

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

संख्याः (·[–) / 23–12–2016

प्रेषक:

भास्कर पाण्डेय
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0,लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग–12 लखनऊ, दिनांक ०९ जनवरी 2017

विषय– राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–19,119,330ए0 एवं इससे सम्बन्धित (जो उ0प्र0 से होकर गुजरते है) के सम्बन्ध में राजपत्र का प्रकाशन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सेक्शन आफीसर(पी0एण्ड एम0) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र सं0–एन0एच0–14013/09/12–पी0 एण्ड0 एम0(पी0टी0–2) दिनांक 14.12.2016 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(भास्कर पाण्डेय)
अनु सचिव

ENC(R/R)
CE(NH)
28 NHV 11/1/17
25 शा 10/01/2017
CE(NH) स्वयं को।
श्रीकान्त 10/1/17

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad
NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

2663/PS/...../16

No. NH-14013/9/2012-P&M(pt-2)
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Planning & Monitoring Section)

Transport Bhawan,
No. 1, Parliament Street,

New Delhi, dated the 14.12.2016

To

1 The Chairman,
National Highways Authority of India,
Sector-10, Dwarka
New Delhi

2 The Principal Secretary,
State Public Works Department,
Lucknow, Uttar Pradesh

Sub: Publication of notification in the Gazette of India, Extraordinary-Part II, Section 3, Sub-Section (ii) – Entrustment of NH No. 19, 119, 330A, Some part of NH No. 233 to NHAI and entrustment of NH No. 334A, 334B, 219, 227A and 731A in the State of Uttar Pradesh to State Government of Uttar Pradesh.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of gazette Notifications No. S.O. 3689(E) and 3690(E) dated 09.12.2016 on the subject mentioned above for your kind information and record.

VS/S/

9098/VS(4)/16
DS(KPT)/So/2

Encls: As above

26.12.16
(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

27/12/16
(सूर्य पाल गंगवार)
विशेष सचिव
लोक निर्माण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

Yours faithfully,

14/12

(Sumit Kumar)
Section Officer, (P&M)
Tel. No. 011-23718816

Copy for information and necessary action to:-

1 Chief Engineer (P-1),(P-2) M/o RT&H /CE (PL)/Dir(P&B)/SE(PL)/EE(PL)/Technical Officer
2 Sr. PPS to DG (RD) & SS
3 Regional Office, Lucknow

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2901] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2016/अग्रहायण 18, 1938
No. 2901] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2016/AGRAHAYANA 18, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3689(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अध्यधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने हेतु ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 24 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलि प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"24	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2ए, सं. 7, सं. 11 [किमी 17.756 से किमी 42.525 (आगरा-उ. प्र./राजस्थान सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 24 [(किमी 8.340 से किमी 488.27 (हापुड़ तथा मुरादाबाद बाइपास सहित दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा - गाजियाबाद-मुरादाबाद-बरेली-सीतापुर-लखनऊ खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 24ए, सं. 27 [किमी 0.000 (रारा सं. 2 का किमी 211.700) से किमी 5.410 (रारा 27 का नया संरेखण) तक खंड को छोड़कर], सं. 28बी, 28सी, सं. 29 {किमी 2.225 से किमी 208.500	उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार"।

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad
NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

	(वाराणसी-गोरखपुर खंड को छोड़कर)}, सं. 56 {किमी 11.500 से किमी 134.700 (लखनऊ – सुल्तानपुर खंड) तक को छोड़कर}], सं. 58, [किमी 52.250 से किमी 152.00 (मेरठ-मुजफ्फरनगर-उ.प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए [किमी 0.00 से किमी 16.00 (छुटमलपुर-गणेशपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 74 [किमी 30.00 से किमी 132.00 (भागूवाल के निकट उत्तराखंड/उ. प्र. सीमा से जसपुर खंड के निकट उ. प्र./उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर] और किमी 264.000 से किमी 342.000 (काशीपुर-सितारगंज-बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 75 [किमी 90.00 से किमी 103.00 (म. प्र./उ. प्र. सीमा खंड से झांसी) तक खंड को छोड़कर], सं. 76, सं. 86 [किमी 7.43 से किमी 130.100 (कानपुर से कबरई खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91 [किमी 23.600 से किमी 414.000 (गाजियाबाद-अलीगढ़-कानपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 91ए, सं. 92, सं. 93 [किमी 0.00 से किमी 232.000 (आगरा-अलीगढ़ –मुरादाबाद खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 96, सं 97, सं. 232ए, सं. 233 {किमी 122.270 से किमी 299.350 (घग्घर पुल (भारत नेपाल सीमा) से वाराणसी खंड) तक खंड को छोड़कर}, सं. 235 {किमी 7.469 से किमी 66.482 (मेरठ-हापुड़ खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 730, नई सं. 730ए, नई रारा सं. 931, नई रारा सं. 931ए, नई रारा सं. 334ए, नई रारा सं. 334बी, नई रारा सं. 219, नई रारा सं. 227ए और नई रारा सं. 731ए के उतने भाग जो उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं।

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पी एण्ड एम(पार्ट-2)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड एम)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. तारीख 27 अक्तूबर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3689(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 24 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
"24	So much of National Highways No. 2A, No 7, No.11 [excluding from Km 17.756 to Km 42.525 (Agra - UP/Rajasthan Border)], No. 24 [excluding from km. 8.340 to km. 488.27 (Delhi/Uttar Pradesh border-Ghaziabad – Moradabad-Bareilly-Sitapur-Lucknow including Hapur and Moradabad bypasses), No. 24A, No. 27 [excluding from Km. 0.000 (Km. 211.700 of NH No. 2) to Km. 5.410 (new alignment of NH 27)], No.28B, No. 28C, No. 29 {excluding from Km. 2.225 to Km. 208.500 (Varanasi-Gorakhpur Section)}, No. 56 {excluding from Km. 11.500 to Km. 134.700 (Lucknow-Sultanpur Section)}, No.58 [excluding from Km. 52.250 to Km. 152.00 (Meerut-Muzaffarnagar - Uttar Pradesh /Uttarakhand Border)], No. 72A [excluding	State Government of Uttar Pradesh"

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad
NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

	from km 0.00 to km 16.00 (Chutamalpur-Ganeshpur Section)], No.74 [excluding from Km 30.00 to km 132.00 (Uttrakhand/UP border near Bhaguwala to UP/Uttrakahnd border near Jaspur Section) and excluding from Km. 264.000 to Km. 342.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No.75 [excluding from km. 90.00 to km. 103.00 (Section from Madhya Pradesh/Uttar Pradesh border to Jhansi)], No. 76, No. 86 [excluding From km. 7.43 to km. 130.100 (Kanpur to Kabrai Section)] , No. 91[excluding from km. 23.600 to km. 414.000 (Ghaziabad-Aligarh-Kanpur Section)], No. 91A, No. 92, No. 93 [excluding from km. 0.00 to km. 232.000 (Agra-Aligarh-Moradabad Section). No. 96, No. 97, No. 232A, **No. 233 {excluding from Km. 122.270 to Km 299.350 (Ghaghar Bridge (Indo Nepal Border) to Varanasi Section)}**, No. 235 {excluding from Km. 7.469 to Km. 66.482 (Meerut-Hapur Section)}, New NH No. 730, New No. 730A, New NH No. 931, New NH No. 931A, **new NH No. 334A, new NH No. 334B, new NH No. 219, new NH No. 227A and new NH No. 731A** as are situated within the State of Uttar Pradesh.	

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M (Pt-2)]

MAYA PRAKASH, Director (P&M)

Note:— The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number dated the 30th November, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2016

का.आ. 3690(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथानिर्दिष्ट खंड के अनुसार उक्त सारणी के कॉलम (1) में तदनुरूप प्रविष्टि के अनुसार यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:-

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग खंड	लंबाई किमी में
(1)	(2)	(3)
19	उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा-19	किमी 00.00 से किमी 128.713
119	उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा-119	किमी 11.8 से किमी 138.635
330ए	उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाला समग्र रारा-330ए	किमी 0.000 से किमी 109.46
233	घग्घर पुल (भारत-नेपाल सीमा) से वाराणसी खंड (उत्तर प्रदेश राज्य में)	किमी 122.270 से किमी 299.350

[फा. सं. एनएच-14013/9/2012-पी एण्ड एम (पार्ट-2)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एण्ड बी)

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2016

S.O. 3690(E).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the Section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:

TABLE

National Highway No.	Section of National Highway	Stretch in Kilometers
(1)	(2)	(3)
19	Entire NH 19 falling in the State of Uttar Pradesh	Km 00.00 to Km 128.713
119	Entire NH 119 falling in the State of Uttar Pradesh	Km 11.8 to Km 138.635
330A	Entire NH 330A falling in the State of Uttar Pradesh	Km. 0.000 to km. 109.46
233	Ghaghar Bridge (Indo Nepal Border) to Varanasi Section (In the State of Uttar Pradesh)	Km 122.270 to Km 299.350

[F. No. NH-14013/9/2012-P&M (Pt-2)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Executive Engineer
GAGAN
Executive Engineer
N.H.P.W.D.
Ghaziabad

NH Division,PWD Ghaziabad
Uttar Pradesh
Signature & Seal

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2016.12.13 16:21:51 +05'30'